न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 288/2013

सायलान :-

1. भंवरलाल पुत्र लाबुराम
2. भीकाराम पुत्र लाबूराम
3. डूंगरराम पुत्र लाबूराम
4. सीतादेवी पुत्री लाबूराम
5. झमकूदेवी पत्नी लाबूराम
   जातियान-जाट, निवासी-आगेवा
   तहसील-जैतारण जिला-पाली

बनाम

गैरसायलान :-

1. सुगनलाल पुत्र दूदाराम
2. उमाराम पुत्र चुतराराम
   जातियान-जाट, निवासी-आगेवा
3. अबाराम पुत्र दानाराम सिरवी
   निवासी-आगेवा, तह0-जैतारण
   जिला-पाली (राज0)
4. तहसीलदार, जैतारण
   तहसील-जैतारण जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी

तारीख रजूः.30.12.2013

उपस्थितः- 1. श्री रामस्वरुप चौधरी, अधिवक्ता, सायलान।
2. श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 20/07/2015**

वकील मय सायलान ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-आगेवा, पटवार क्षैत्र-आगेवा, तहसील-जैतारण में सायलान एवं गैरसायलान की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 73 रकबा 46 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई हैं। जिसमें सायलान का 1/4 हिस्सा, गैरसायलान संख्या 1 का 1/24 वां हिस्सा व गैरसायलान संख्या दो का 3/8 हिस्सा, गैरसायलान संख्या 3 का 1/3 हिस्सा हैं तथा इसी हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं, जिसे प्रार्थना पत्र का आवश्यक भाग माना जावें। उक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में सामलाती हैं, जिसका कानूनन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंट्वाडा नहीं हो रखा है तथा मौके पर उक्त वर्णित आराजी पक्षकारान अपनी सहमति से अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं एवं सायलान व गैरसायलान ने आपसी सहमति से उक्त आराजी का मौके पर बंटवाडा कर रखा है परन्तु कानूनन बंटवाडा नहीं हो रखा हैं। उक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में सामलाती होने एवं कानूनन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा नही होने से सायलान को अनेकों प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड रहा हैं। जिसमें सायलान अपनी आराजी मे कुआ खुदवाने, बिजली कनेक्शन लेने, अपनी आराजी के चारो तरफ मेढबंदी करने, उसे उपजाऊ करने एवं खाद डालने, एवं किसान क्रेडिट कार्ड बनाने आदि अनेको प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड रहा हैं। क्योकि जब तक उक्त आराजी का कानूनन बंटवाडा नहीं हो जाता तब तक सायलान अपनी आराजी में

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

इस तरह के काम नहीं कर सकता हैं। इसलिए सायलान का यह प्रार्थना पत्र बंटवाडा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश किया हैं। उक्त वर्णित आराजी का कानूनन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा नहीं होने से गैरसायलान आये दिन सायलान की आराजी में दखल व दस्तन्दाजी करते हैं तथा अपनी इच्छानुसार सायलान की आराजी में रास्ता निकालते हैं एव सायलान को बुवाई के समय भी रुकावट पैदा करते है तथा गैरसायलान को ऐलानिया धमकी देते है कि उक्त वर्णित आराजी को बिना बंटवाडा करवायें ही किसी अजनबी केता को बैचान बख्शीश कर देगें और फ्रण्ट की जगह पर अपना कब्जा जमा लेगें। यदि गैरसायलान अपने इन नापाक ईरादों में कामयाब हो जाते हैं, तो सायलान को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं हैं। इसलिए सायलान का यह वाद बंटवाडा व अस्थाई निषेधाज्ञा क विरुद्ध गैरसायलान के पेश किया हैं। उक्त वर्णित आराजी का जब तक कानूनन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा नहीं जाता हैं, तब तक प्रत्येक खातेदार का हर इंच पर अपना अधिकार है और इन्हीं मंसुबो से गैरसायलान अपनी आराजी को अजनबी केता को बैचान करने पर उतारु हैं और यदि गैरसायलान बिना बंटवाडा करवायें उक्त आराजी का किसी अन्य व्यक्ति को बैचान कर देते हैं, तो अजनबी केता मौके पर कब्जे को लेकर विवाद करेगा। जिससे मौके पर लडाई झगडे होगें। मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स बढेगी एवं अनेकों प्रकार की मुकदमेबाजी होगी, जिससे सायलान अपने जायज हक व अधिकारों से हमेशा के लिये महरुम हो जायेगा। इसलिए सायलान के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश किया हैं। दिनांक 17/12/2013 को सायलान द्वारा गैरसायलान को उक्त आराजी का कानूनन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करने का कहा तो गैरसायलान ईन्कार हो गये एवं सायलान को धमकी दी कि वो उसे मौके से बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर अपना कब्जा जमा लेगें एवं उक्त आराजी को किसी अन्य व्यक्ति को बैचान कर उसे कब्जा सूपुर्द कर देगें। यदि गैरसायलान बिना कानूनन बंटवाडा करवायें किसी अन्य को बैचान कर देते हैं और अपने नापाक इरादो मे कामयाब हो जाते है एवं बिना किसी हक व अधिकार के मौके पर अजनबी व्यक्ति को कब्जा सौपते है तो सायलान अपने साम्पैतिक अधिकारों से हमेशा के लिये महरुम हो जायेगा, जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन रुपयों में भी नहीं आंका जा सकेगा। गैरसायलान अजनबी व्यक्तियों के साथ मिलकर धनबल के आधार पर आये दिन सायलान की आराजी में दखल व दस्तन्दाजी कर रहे हैं एवं उन्हे बेदखल करने की पुरी कोशिश कर रहे हैं। यदि गैरसायलान अपने इन गैरकानूनी मंसुबो में कामयाब हो जाते हैं, तो वादी अपने जायज हक व अधिकारों से हमेशा के लिये वंचित हो जायेगा। इसलिए सायलान के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश किया हैं। समस्त तथ्यों परिस्थितियों के आधार पर एवं मौके पर कब्जा व काश्त के आधार पर सायलान का प्रथम दृष्टिया मामला बखुबी सायलान के पक्ष में प्रमाणित है यदि गैरसायलान जबरदस्ती सायलान के हक हिस्से की आराजी का बिना बंटवाडा कराये ही सायलान को उनके हक हिस्से की आराजी से बेदखल कर किसी अन्य अजनबी केता को जबरदस्ती रहन, बेचान, व अन्य हस्तान्तरण कर देते है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी। एवं होने वाली क्षति का मूल्याकंन मुद्रा में नही किया जा सकेगा। तब इन उपरोक्त वर्णित तमाम परिस्थितियों में

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

सायलान के पास यह प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं हैं तब यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के प्रस्तुत हैं।

सायलान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। गै0सा0 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत फॉलोअप केम्प न्यायालय हाजा में पेश हुई। गै0सा0 ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश करने के अनेक अवसर दिये जाने पर भी जबाब पेश नहीं करने से जबाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता हैं। गै0सा0 संख्या 4 बावजूद तामिली / सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 29/01/2014 को की गई। बहस वकुलाय सुनी गई। सायलान व गै0सा0 राजस्व रेकर्ड में खातेदार काश्तकार हैं। सायलान अपने हक हिस्से की आराजी में काश्त के मुतालिक खड़ाई, बुवाई, कटाई करें तो गै0सा0 उनके हाली एजेन्ट नौकर चाकर इत्यादि दखल व दस्तन्दाजी नहीं करें, जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सायलान एवं गैरसायलान की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 73 रकबा 46 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि सायलान अपने हक हिस्से की आराजी में काश्त के मुतालिक खड़ाई, बुवाई, कटाई करें तो गै0सा0 उनके हाली एजेन्ट नौकर चाकर इत्यादि दखल व दस्तन्दाजी एवं बेचान आदि नहीं करें, जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाकर पाबन्द वाद के निर्णय तक किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 20/07/2015 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner